न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

225RTA 276 of 2022 (GCMS 451 of 2022)

छंवरीदेवी पुत्री बद्रीनारायण पत्नी करपाराम गहलोत
जति माली, निवासी चैनपुरा (चुतरावता बेरा)
मण्डोर, जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. बद्रीनारायण पुत्र जयराम के कायममुकाम-
   1.1. श्रीमती देवी पत्नी बद्रीनारायण
2. ज्ञानसिंह पुत्र बद्रीनारायण
3. श्रीमती कौशल्या पत्नी सोहनसिंह
4. बन्दना पुत्री सोहनसिंह
5. मनीष पुत्र सोहनसिंह
6. सुरेन्द्र पुत्र सोहनसिंह
   सभी जाति माली, निवासीगण चुतरावता बेरा,
   पूंजला, तहसील व जिला जोधपुर
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, (उत्तर) जोधपुर दिनांक 30 सितम्बर 2022 प्रकरण संख्या 34/2018 छंवरीदेवी बनाम बद्रीनारायण आदि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 8

नि र्ण य

दिनांक : 11 जनवरी 2024

अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 34/2018 छंवरीदेवी बनाम बद्रीनारायण आदि में पारित आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2022 के

11.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 12 अक्तूबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी-अपीलाण्ट छंवरीदेवी ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया और वाद के साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीनी-अपीलाण्ट एवं अप्रार्थीगण-रेस्पो. की पैतृक भूमि खसरा संख्या 127 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 134 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 138 रकबा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 143 रकबा 17 बिस्वा एवं खसरा संख्या 144 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा ग्राम पूंजला स्थित होना जाहिर किया। साथ ही ग्राम पूंजला की सरहद में ही आराजी खसरा संख्या 193, 194, 195, 197, 198, 199/2, 202, 203, 203/1, 203/2, 263, 264 व 326 अन्य सहखातेदारान के साथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना जाहिर किया। पक्षकारान की उक्त आराजियात में से खसरा संख्या 127, 134, 143 व 144 बाबत पूर्व में राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज हो जाने से अप्रार्थी-रेस्पो. बद्रीनारायण आदि द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के तहत प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 203/2012 का निर्णय दिनांक 18 नवम्बर 2013 को होना जाहिर करते हुए उक्त वाद में ही अन्य 193, 194, 195, 197, 198, 199/2, 202, 203, 203/1, 203/2, 263, 264 व 326 की भूमि भी पैतृक मानते हुए उक्त निर्णय के तहत बद्रीनारायण के खाते में अन्य लोगों के साथ दर्ज होना बताया और प्रार्थीनी-अपीलाण्ट का उक्त समस्त आराजियात में हिन्दू विधि के अनुसार हक-हिस्सा होना जाहिर किया गया और मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण संस्थित किया जाकर अंतरिम स्थगन आदेश जारी कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया और बाद आवश्यक कार्यवाही पक्षकारान की सुनवाई के बाद उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2022 को खारिज कर दिया गया।

11.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट-प्रार्थिनी द्वारा आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवकता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान एक ही खानदान से होकर हरजीराम के वंशज है, हरजीराम के चार पुत्र सादुलराम, सूरजमल (लाऔलाद फौत), छोगजी (लाऔलाद फौत) व लिखमाराम हुए, सादुलराम के पुत्र जयराम के पुत्र भंवरलाल, बद्रीनारायण व रामचन्द्र हुए। बद्रीनारायण के दो पुत्र ज्ञानसिंह (रेस्पो. संख्या दो) व सोहनसिंह (जिसके वारिसान रेस्पो. संख्या 3 से 6 है) तथा एक पुत्री अपीलाण्ट हुए। रेस्पो. संख्या 1.1 उक्त बद्रीनारायण की पत्नी है। इस प्रकार अपीलाण्ट तथा रेस्पो. संख्या 1.1 तथा 2 से 6 बद्रीनारायण के वारिस है। वादग्रस्त आराजियात इन पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि है जिसमें हिन्दू विधि के अनुसार बदीनारायण के हिस्से में आने वाली भूमि के ¼ भाग की अपीलाण्ट विरासतन हकदार है। किन्तु उसके हिस्से को हडपने की नीयत से रेस्पो. राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाना चाहते है और अपीलाण्ट के हिस्से की भूमि को खुर्दबुर्द करने पर आमदा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जरिये अपीलाधीन आदेश खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि पूर्ववर्ती राजस्व वाद संख्या 203/2012 में पारित निर्णय दिनांक 18 नवम्बर 2013 के अनुसार वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी मानते हुए ही राजस्व रिकार्ड में बद्रीनारायण के पक्ष में अमल-दरामद किया गया है। अपीलाण्ट की जन्म दिनांक, वादग्रस्त आराजियात में विरासतन हक-हिस्सा अर्जित होने आदि तथ्यों के संबंध में मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई के बाद गुणावगुण के आधार पर विनिश्चयन किया जाना है, वर्तमान स्तर पर अस्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में प्रथम

11.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु ही विचारणीय है जो अपीलाण्ट के पक्ष में होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा मिथ्या आधारों पर अपीलाण्ट का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया, जो विधिसम्मतः नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार अपीलाण्ट को भी पुत्री होने के नाते पुश्तैनी भूमि में हक-हकूक प्राप्त है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर ध्यान ही नहीं दिया गया। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय में स्थगन प्रार्थनापत्र संस्थित करते हुए अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 09 जुलाई 2018 को जारी की गयी थी, जो दिनांक 02 जनवरी 2019 को "वेकेट" कर दी गयी। जिसके खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए पारित आदेश के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी का निस्तारण करते हुए माननीय राजस्व मण्डल द्वारा विचारण न्यायालय को उभयपक्षकारान की सुनवाई कर दो माह में मेरिट पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये। 2022(1) आरएलडब्ल्यु 269 (एससी) उद्धरित करते हुए कथन किया कि सहदायिकी द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ताखानदान को हिन्दू पारिवारिक सम्पत्ति के विकय आदि के संव्यवहार को अवरुद्ध करने अथवा उसमें सम्मिलित किये जाने हेतु कर्ता-खानदान के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग नहीं की जा सकती है। वर्तमान में बद्रीनारायण के नाम कोई भूमि नहीं है क्योंकि अपने जीवनकाल में ही बद्रीनारायण द्वारा वादग्रस्त आराजियात का बेचान/बख्शीश किया जा चुका है। एआईआर 2016 सुप्रीम कोर्ट 1169 उद्धरित कर अधिवक्ता-रेस्पो. ने जाहिर किया कि पूर्वजों की जीवनकाल में अपीलाण्ट का जन्म होना स्पष्ट नहीं है, न ही अपीलाण्ट के दादा जयराम का देहान्त होने से समय-बिन्दु प्रकट किया गया है। इतना ही नहीं, वादग्रस्त आराजियात में मूल खातेदार के वारिसान का तर्कसंगत हिस्सा भी

11.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्पष्ट नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में अपने पिता के जीवनकाल में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद चलने योग्य ही नहीं होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य एवं आधार नहीं है। अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदुनसार खारिज की जावे।

प्रत्युत्तर में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अधिवक्ता-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत नजीरें वर्तमान स्तर पर लागू नहीं होती है। जब हिस्सा स्पष्ट नहीं है तो प्रतिपक्ष द्वारा वादग्रस्त आराजियात में से बेचान किस आधार पर किया जा रहा है।

रेस्पो. संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य मामलें में अपीलाण्ट ने पूर्ववर्ती राजस्व वाद संख्या 203/2012 में पारित निर्णय दिनांक 18 नवम्बर 2013 के अनुसार वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी मानते हुए ही राजस्व रिकार्ड में बद्रीनारायण के पक्ष में अमल-दरामद स्वयं को बद्रीनारायण के जीवन काल में ही स्वयं को उसकी जायन्दा पुत्री बताते हुए आलौच्य दावा पेश किया गया है जिसमें पक्षकारान के पूर्व-पुरूष हरजीराम होना, हरजीराम के चार पुत्र सादुलराम, सूरजमल (लाऔलाद फौत), छोगजी (लाऔलाद फौत) व लिखमाराम हुए, सादुलराम के पुत्र जयराम के पुत्र भंवरलाल, बद्रीनारायण व रामचन्द्र होना तथा बद्रीनारायण के दो पुत्र ज्ञानसिंह व सोहनसिंह तथा एक पुत्री स्वयं अपीलाण्ट होना जाहिर करते हुए बद्रीनारायण के हक-हिस्से की भूमि में अपना ¼ हिस्सा विरासतन होना जाहिर किया गया है किन्तु स्वयं की जन्म दिनांक एवं अपने दादा जयराम के देहान्त की दिनांक स्पष्ट

11.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं की गयी है और यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि बद्रीनारायण स्वयं का कितना हिस्सा है, हरजीराम के अन्य वारिसान का कितना हिस्सा है और पूर्ववर्ती राजस्व वाद संख्या 203/2012 में पारित निर्णय दिनांक 18 नवम्बर 2013 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में बद्रीनारायण का कितना हिस्सा दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, 193, 194, 195, 197, 198, 199/2, 202, 203, 203/1, 203/2, 263, 264 व 326 का रकबा एवं उनमें सहखातेदारान के हक-हिस्से भी प्रकट नहीं किये गये है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड की स्थिति भी प्रकट नहीं की गयी है जबकि विचारण न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थीगण-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात की छायाप्रतियों से स्वयं बद्रीनारायण द्वारा वादग्रस्त आराजियात में से विभिन्न खसरा नम्बरान की भूमियों का बेचान/बख्शीशनामा के जरिये हस्तान्तरण कर दिया जाना प्रकट होता है। इस संबध में उल्लेखनीय है कि 2022(1) आरएलडब्ल्यु 269 (एससी) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि जहॉ कर्ता ने किसील संयुक्त हिन्दू परिवारिक सम्पत्ति को विधिक आवश्यकतार्थ या सम्पत्ति के फायदार्थ अन्य संकान्त कर दिया हो तो यह परिवार के समस्त अविभाजित सदस्यों के हित पर बाध्यकारी होगा भले ही वे अव्यस्क या विधवा हो। इस मामलें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि एक सहदायिक जिसे संयुक्त हिन्दू पारिवारिक सम्पत्ति में हिस्से का दावा करने का अधिकार होता है, वह संयुक्त हिन्दू पारिवारिक सम्पत्ति का विकय करने से संव्यवहार में प्रवेश करने या संव्यवहार करने से उसे अवरुद्ध करते हुए कर्ता के विरुद्ध निषेधाज्ञा नहीं मांग सकता है।

इन परिस्थितियों में बद्रीनारायण के जीवनकाल में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में नही पाये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के आलोक में प्रार्थनापत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जरिये अपीलाधीन आदेश खारिज करने में कोई त्रुटि या अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

11.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाया जाता है जिसमें आलौच्य अपील स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य एवं आधार उपलब्ध होना नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर